रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 538] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 1985/कार्तिक 17, 1907
No. 538] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 1985/ KARTIKA 17, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1985

अधिसूचना

का. आ. 818 (अ)—संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक (चाहे वे प्रशासक, उप-राज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त के नाम से जाने जाते हैं) राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन तथा अगले आदेशों तक संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के बारे में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अंतर्गत राज्य सरकार की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

[सं. यू-11030/6/85-यू टी एल]
एच. वी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th November, 1985

NOTIFICATION

S.O. 818(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the Administrator of every Union Territory (whether known as the Administrator, Lieutenant Governor or Chief Commissioner) shall, in relation to the Union territory concerned, exercise of the powers and discharge functions of the "State Government" under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985 (61 of 1985).

[No. U-11030/6/85-UTI.]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985